रा.पु.मु.ज./5–99/70,000

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

बुक नं.

1. जिला.चौकी ,भ्र.नि.ब्यूरो अलवर द्वितीय ....थाना...प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्र.नि.ब्यूरो जयपुर वर्ष ..2023.
   प्र. इ. रि. सं. ....66/2023......... दिनांक ....23/3/2023......
2. (अ) अधिनियम –भ्र0 नि0 अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018..)धारायें...7, पी.सी एक्ट ....
   (ब) अधिनियम ....धारायें...
   (स) अधिनियम ....धारायें...
   (द) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या ....421........समय..........7.05 P.M.....
   (ब) अपराध घटने का दिन–दिनांक बुधवार /22.03.2023/समय. 01.43 पी0एम0............................
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 10.01.2023/ समय 06.00 पी0एम0..................................
4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक – लिखित
5. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – दिशा दक्षिण–पश्चिम दूरी लगभग 02 कि0मी0 ....
   (ब) पता–भवानी तोप सर्किल सरस डेयरी बूथ पॉर्लर अलवर ..... बीट सख्या ...जरायमदेहीसं..........
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो–पुलिस थाना........... जिला................................

6.परिवादी/सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम श्री प्रवीण कुमार
   (ब) पति का नाम .... श्री कुन्दन सिंह जाट...
   (स) जन्म तिथि /36 वर्ष ....
   (द) राष्ट्रीयता.........भारतीय ....
   (य) पासपोर्ट सख्या ....जारी होने की तिथी...
   जारी होने की जगह...
   (र) व्यवसाय...... ठेकेदारी ....
   (ल) पता–गांव बरखेडा फौजदार तहसील नगर जिला भरतपुर हाल एए क्लास पार्टनर फर्म मैसर्स कुन्दन सिंह कॉन्टैक्टर ।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

श्री रामेश्वर सिंह पुत्र श्री बदन लाल जाति जाटव उम्र 52 वर्ष निवासी गांव मुड़िया तहसील नगर जिला भरतपुर हाल आवाद मकान नम्बर–बी–33 रूप बिहार न्यू सांगानेर रोड जयपुर हाल अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) सार्वजनिक निर्माण विभाग क्वालिटी कन्ट्रोल वृत–02 जयपुर, मुख्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग अलवर।

8. परिवादी/ सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही...
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें) ....
   ....06,00,000/–रूपये रिश्वत राशि ....
10. चुराई हुई /लिप्त सम्पति का कुल मूल्य . पंचनामा/यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो)..................
   ....06,00,000/–रूपये रिश्वत राशि ....
11. मृत्यू समीक्षा रिपोर्ट (अप्राकृतिक मृत्यू मामला सं0)(यदि कोई हो तो) नहीं
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)

सेवा में, श्रीमान उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चौकी–अलवर (राज.) विषय:–रंगे हाथ रिश्वत लेते हुये पकडवाने बावत्, महोदय, निवेदन है कि हमारी फर्म मैसर्स कुन्दन सिंह कॉन्टेक्टर के नाम से रजिस्टर्ड है। मै ए.ए. क्लास फर्म में पार्टनर हूं, तथा मै रोड निर्माण का कार्य करता हूं। अभी मैने कठूमर खेड़ली उपखण्ड में कार्य कर रहा हूं। जिसका करीबन मेरा 03 करोड के लगभग भुगतान बकाया है। जिसको श्री रामेश्वर सिंह SE क्वालिटी कन्ट्रोल अलवर द्वारा मेरी फर्म द्वारा बनाई गई रोडो की उनके द्वारा CC Road की कोर Catting(Sample) की गई है। तथा मुझे धमकी देते है कि आपका बकाया बिल पास

नहीं होगा ये रोडो के कोर का सैम्पल लैबोट्री में भेजकर आपके विरूद्ध रिपोर्ट मंगवा लूंगा वरना आप मेरे को रिश्वत राशि 15 लाख रूपये दे दो नही तो **Sample** को **Lab** में भेज दूंगा। इसके लिये मुझे 4.1.2023 को अपने घर जयपुर बुलाया था तथा मेरे से धमका कर 2.50 लाख रूपये रिश्वत ले ली तथा बाकी के भी जल्दी देने को कहा कि मै अलवर अगले सप्ताह आउंगा तब आप मुझे मिलना तथा रूपये लेकर आना। मुझे वार–वार रिश्वत के लिये परेशान कर रहा है तथा मेरा भुगतान नीचे के अधिकारियों को नहीं कहने की कहकर रोक रखा है। मै ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं, इनको रंगे हाथ पकडने की कृपा करें। मेरा इनसे कोई पुराना लेन–देन नहीं है तथा नांही कोई मेरी रंजिश है। कानूनी कार्यवाही करने का श्रम करें। वो आज अलवर आये है। तथा मुझे रूपये लेकर बुला रहे है। हस्ताक्षर प्रार्थी–प्रवीण कुमार **S/.** कुन्दन सिंह बरखेडा फौजदार, नगर भरतपुर राज. 3321205, **M-**,9982981111 दिनांक–10/01/2023, हस्ता. परमेशवर लाल/10.01.2023, ह0 स्वतंत्र गवाह–विष्णु कुमार सिंह , उदित आर्य दिनांक 22.03.2023,

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 10.01.2023 को समय 06.00 पी.एम. पर परिवादी श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री कुन्दन सिंह जाति जाट उम्र 36 वर्ष निवासी बरखेडा फौजदार नगर जिला भरतपुर ने ब्यूरो ईकाई अलवर द्वितीय अलवर में मेरे समक्ष उपस्थित होकर उक्त लिखित रिपोर्ट उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चौकी– अलवर– के पदनाम से संबोधित की हुई मुझे पेश की। जिस पर मैने परिवादी की लिखित रिपोर्ट का अवलोकन कर कार्यवाही करते हुये सर्वप्रथम लिखित रिपोर्ट में अंकित तथ्यों बाबत परिवादी से पूछताछ की गई तो परिवादी ने स्वयं का पढा लिखा होकर उक्त लिखित रिपोर्ट स्वयं की हस्तलिखित होना तथा रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर होना तथा अंकित तथ्य सही–सही होना बताया तथा मजीद दरियाफ्त पर बताया कि–हमारी फर्म मैसर्स कुन्दन सिंह कॉन्टेक्टर के नाम से रजिस्टर्ड है। मै ए.ए. क्लास का फर्म में पार्टनर कॉन्टेक्टर हूं तथा मै रोड निर्माण का कार्य करता हूं। अभी मैने कठूमर खेड़ली उपखण्ड में कार्य कर रहा हूं। जिसका करीबन मेरा 03 करोड के लगभग भुगतान बकाया है। जिसको श्री रामेश्वर सिंह एसई क्वालिटी कन्ट्रोल अलवर द्वारा मेरी फर्म द्वारा बनाई गई रोडो की उनके द्वारा सीसी रोड की कोर कटिंग सैम्पलिंग की गई है तथा मुझे धमकी देते है कि आपका बकाया बिल पास नहीं होगा ये रोडो के कोर का सैम्पल लैबोट्री में भेजकर आपके विरूद्ध रिपोर्ट मंगवा लूंगा वरना आप मेरे को रिश्वत राशि 15 लाख रूपये दे दो नही तो सैम्पल को लैब में भेज दूंगा इसके लिये मुझे 04.01.2023 को अपने घर जयपुर बुलाया था तथा मेरे से धमका कर 2.50 लाख रूपये रिश्वत ले ली तथा बाकी के भी जल्दी देने को कहा कि मै अलवर अगले सप्ताह आउंगा तब आप मुझे मिलना तथा रूपये लेकर आना। मुझे बार–बार रिश्वत के लिये परेशान कर रहा है तथा मेरा भुगतान नीचे के अधिकारियों को नहीं कहने की कहकर रोक रखा है। मै ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं इनको रंगे हाथ पकडने की कृपा करें। मेरा इनसे कोई पुराना लेन–देन नहीं है तथा नांही कोई मेरी रंजिश है। वो आज अलवर आये है तथा मुझे रूपये लेकर बुला रहे है। मै यह कार्यवाही किसी राजनैतिक कारणों से या किसी के बहकावे में आकर नहीं बल्की स्वयं की एवं अपने पिता श्री कुन्दन सिंह की स्वेच्छा अनुसार नाजायज तौर पर राजकार्य को करने में रिश्वत मांगे जाने पर करा रहा हूं। परिवादी ने मांगने पर ऐड्रेस प्रूफ बाबत अपने स्वयं के आधार कार्ड की एवं फर्म रजिस्टर्ड, रनिंग बिल आदि की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जिन्हें शामिल रनिंग नोट किया गया। परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं की गई दरियाफ्त आदि से मामला रिश्वत की मांग का पाया जाने पर उसी रोज परिवादी श्री प्रवीण कुमार को आरोपी श्री रामेश्वर सिंह एसई क्वालिटी कन्ट्रोल अलवर से रिश्वत राशि की मांग के संबंध में वार्ता कर उक्त वार्ता को डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड करके लाने हेतु कहा गया तो परिवादी ने बताया कि आरोपी रामेश्वर सिंह एसई मोबाईल फोन पर सीधे बात नहीं करेगा उसने मुझे कुछ समय पहले व्हाटसएप कॉल करके सर्किट हाउस अलवर के पास आकर वार्ता करने को कहा है इस लिये उसके पास जाकर ही आमने सामने बात हो सकती है। जिस पर श्री अजय कुमार

मुख्य आरक्षक नम्बर 36 से कार्यालय की अलमारी से डिजीटल टेप रिकार्डर मय नया सैल, व नया मैमोरी कार्ड 32 जीबी निकलवाकर डिजीटल टेप रिकार्डर में नया सैल व उक्त नया 32 जीबी मैमोरी कार्ड डालकर चालू कर वॉईस रिकार्डर व मैमोरी कार्ड का खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी व श्री राजवीर सिंह कानि0 नम्बर 443 का आपस में परिचय कराकर दोनो को डिजीटल वॉईस रिकार्डर को चालू तथा बन्द करने का तरीका बताकर श्री राजवीर सिंह कानि0 नम्बर 443 को जरिये फर्द समय 07.00 पीएम पर सुपुर्द कर श्री राजवीर सिंह कानि0 नम्बर 443 को परिवादी के हमराह रवाना होकर रास्ते में आरोपी एवं परिवादी के मध्य अगर मोबाईल फोन पर कोई भी वार्तालाप हो को वॉईस रिकार्डर में रिकॉर्ड कर उसे सुरक्षित रखने एवं परिवादी के हमराह गन्तव्य स्थान सर्किट हाउस अलवर अथवा अन्य स्थान पर आरोपी के बुलाने पर उक्त स्थान पर पहुंचकर विभागीय डिजीटल वॉईस रिकार्डर मैमोरी कार्ड डले सहित चालू कर अपनी आवाज से दिनांक भरकर एवं परिवादी से उसका नाम बुलवाकर एवं टेप रिकार्डर प्राप्त करने संबंधी वार्ता को रिकार्ड कर चालू हालत में सुपुर्द कर परिवादी को संदिग्ध आरोपी के पास भेजकर आरोपी द्वारा की जा रही रिश्वत राशि की मॉग के संबंध में गोपनीय सत्यापन करवाकर बाद सत्यापन विभागीय डिजीटल टेप रिकार्डर मैमोरी कार्ड सहित मय परिवादी के कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत देकर श्री राजवीर सिंह कानि0 नं.–443 को परिवादी श्री प्रवीण कुमार के हमराह परिवादी द्वारा लाई गई स्वयं की बलेनो कार नम्बर आरजे–02 सीएफ–4391 से वास्ते रिश्वत मांग सत्यापन आरोपी के पास कार्यालय से समय करीब 07.10 पीएम पर रवाना किया गया, जो उसी रोज समय 08.30 पीएम पर उपस्थित कार्यालय आये एवं परिवादी ने मन पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि मै व श्री राजवीर सिंह कानि0 दोनो आपके कार्यालय अलवर से मेरी स्वयं की बलेनो कार नम्बर आरजे–02 सीएफ–4391 से रवाना होकर सर्किट हाउस अलवर के पास पहुंचे, जहां पर गाडी के अन्दर ही श्री राजवीर सिंह कानि0 ने अपने पास से टेप रिकार्डर मैमोरी कार्ड डले सहित निकालकर चालू कर अपनी आवाज से दिनांक भरकर एवं मेरा नाम एवं टेप प्राप्त करने की वार्ता को रिकार्ड कर चालू हालत में मुझे दे दिया जो मैने अपनी जैकिट की दाहिनी साईड की जेब में रख लिया, इसी दौरान आरोपी श्री रामेश्वर सिंह अपनी सरकारी गाडी को लेकर सर्किट हाउस के पास स्थित सरस डेयरी बूथ पर आये जिस पर मै अपनी गाडी को साईड में खडी कर एवं गाडी के अन्दर ही राजवीर सिंह को छोडकर आरोपी रामेश्वर सिंह के पास गया तो उन्होने मुझे अपनी सरकारी गाडी के अन्दर बैठा लिया उसके बाद मैने श्री रामेश्वर सिंह एसई क्वालिटी कन्ट्रोल से कठूमर खेड़ली उपखण्ड में कराये गये रोड निर्माण कार्यो की क्वालिटी रिपोर्ट के संबंध में बार्ता की तो श्री रामेश्वर सिंह एसई क्वालिटी कन्ट्रोल ने मुझसे हमारी फर्म द्वारा कठूमर खेड़ली उपखण्ड में किये गये रोड निर्माण कार्यो की क्वालिटी संबंधी रिपोर्ट सही देने एवं भुगतान दिलाने के बदले में 15 लाख रूप्ये की मांग कर पूर्व में मुझसे लिये हुये 2.50 लाख रूपये प्राप्त करना स्वीकार करते हुये उसी समय मुझसे 1.50 लाख रूपये ले लिये और 06 लाख रूपये दो किस्तो में देने एवं 5 लाख रूपये का बाद में हिसाब करने की कहा एवं 6 लाख रूपये दो किस्तों में दो चार रोज बाद देने हेतु तय किया जिस पर उन्होने अपनी सहमति दी , उसके बाद वे मुझे अपनी सरकारी गाडी से वहीं पर उतार कर चले गये, मैने उनकी सारी वार्ता को टेप रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया और वापस अपनी गाडी पर आया और गाडी में बैठकर टेप रिकार्डर मैमोरी कार्ड सहित राजवीर सिंह कानि0 को चालू हालत में दे दिया जिसे राजवीर सिंह ने बन्द कर अपने पास रख लिया उसके बाद मैने श्री रामेश्वर सिंह एसई क्वालिटी कन्ट्रोल से हुई सारी बातें राजवीर सिंह कानि0 को बता दी। उसके बाद हम दोनो वहां से रवाना होकर वापस आये है। पूछने पर श्री राजवीर सिंह कानि0 ने परिवादी के कथनों की ताईद की। इसके बाद श्री राजवीर सिंह कानि0 से विभागीय वॉईस रिकार्डर मैमोरी कार्ड डले सहित प्राप्त कर वाईस रिकार्डर मैमोरी कार्ड डले हुये को लैपटोप की मदद से चालू कर उसमें रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को ईयरफोन की मदद से सुना गया तो उसमें रिकार्ड वार्ता से आरोपी श्री रामेश्वर सिंह एसई क्वालिटी कन्ट्रोल द्वारा परिवादी से उसके पिता श्री कुन्दन सिंह के नाम की फर्म द्वारा कठूमर खेड़ली उपखण्ड में कराये गये रोड निर्माण

कार्यो के भुगतान हेतु रोड की क्वालिटी संबंधी रिपोर्ट सही देने की एबज में 15 लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग करना एवं 2.50 लाख रूप्ये पूर्व में प्राप्त करना स्वीकारना एवं वक्त सत्यापन 1.50 लाख रू. परिवादी से प्राप्त करना एवं 6 लाख रूप्ये दो किस्तो में देना तय करना व 5 लाख रू. का बाद में हिसाब करना एवं 6 लाख रूप्ये की राशि दो किस्तों में दो चार रोज बाद में दिये जाने हेतु परिवादी को लेकर बुलाया जाना स्पष्टतः प्रमाणित पाया गया है। इसी बीच परिवादी ने बताया कि उसे अभी इसी समय बहुज जरूरी काम से जाना है, जिस पर वॉईस रिकार्डर मैमोरी कार्ड डले सहित सुरक्षित मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपने स्वयं के कब्जे में कार्यालय की आलमारी में रखा जाकर अलमारी को लॉक किया गया तथा परिवादी को आरोपी द्वारा मांगी गई रिश्वत राशि का इन्तजाम कर साथ लेकर आने एवं आरोपी की गतिविधियों पर निगरानी रखने एवं गोपनीयता बनाये रखने हेतु हिदायत देकर कार्यालय से रवाना किया गया, इसके बाद दिनांक 25.01.2023, 06.02.2023, को मन पुलिस उप अधीक्षक की परिवादी श्री प्रवीण कुमार से जरिये दूरभाष वार्ता हुई जिसमें परिवादी ने बताया कि उसके अभी तक बिल पास नही होने से आरोपी द्वारा मांगी गई रिश्वत राशि का अभी तक उस पर इन्तजाम नहीं हुआ है जैसे ही इन्तजाम हो जायेगा वह शीघ्र रूपये लेकर उपस्थित हो जायेगा। इसके बाद दिनांक 27.02.2023 को मन पुलिस उप अधीक्षक की परिवादी श्री प्रवीण कुमार से जरिये दूरभाष वार्ता हुई जिसमें परिवादी ने बताया कि आरोपी श्री रामेश्वर सिंह मुझे बार–बार फोन कर परेशान करता है जिसकी दिनांक 25.02.2023 को मुझसे की गई वार्ता को मैने अपने दूसरे मोबाईल फोन से व्हाटसएप कॉल को रिकॉर्ड कर लिया है। इस पर मेरे द्वारा परिवादी को उक्त रिकॉडिंग को मोबाईल फोन में ही अच्छी तरह सेव कर सुरक्षित रखने एवं आरोपी द्वारा मांगी गई रिश्वत राशि लेकर उपस्थित कार्यालय आने की हिदायत दी गई तो परिवादी ने बताया कि अभी आरोपी द्वारा मांगी गई रिश्वत राशि का उस पर इन्तजाम नहीं हुआ है जैसे ही इन्तजाम हो जायेगा वह शीघ्र रूपये लेकर उपस्थित हो जायेगा। इसके बाद दिनांक 03.03.2023 को भी परिवादी से हुई वार्ता जिसमें घरेलू कार्य में व्यस्त होने तथा आरोपी द्वारा मांगी गई रिश्वत राशि का इन्तजाम नहीं होने से उपस्थित नहीं होना तथा रिश्वत राशि का इन्तजाम होने पर उपस्थित हो जाना बताया। इसके बाद दिनांक 21.03.2023 को परिवादी से वार्ता हुई जिसमें परिवादी श्री प्रवीण कुमार आरोपी द्वारा मांगी गई रिश्वत राशि 06 लाख रूपये में से सिर्फ दो लाख का ही इन्तजाम होने किन्तु 04 लाख रूपये का इन्तजाम नहीं होना बताया जिसे दो लाख रूपये भारतीय चलन मुद्रा के एवं 04 लाख रूपये के डमी करेंसी नोट लेकर आने की सलाह दी गई तो उसने दिनांक 22.03.2023 को प्रात रिश्वत राशि सहित उपस्थित होने हेतु कहा गया। इसके बाद दिनांक 21.03.2023 को कार्यालय उप श्रम आयुक्त श्रम विभाग अलवर से दो स्वतंत्र गवाह विष्णु कुमार सिंह वरिष्ठ सहायक, व श्री उदित आर्य कनिष्ठ सहायक, को तलब कर बुलाया जाकर उन्हें नाम पते पूछकर दिनांक 22.03.2023 को प्रातः 07.00 एएम पर ब्यूरो कार्यालय अलवर द्वितीय पर उपस्थित आने हेतु पाबन्द कर रवाना किया गया, इसके बाद दिनांक 22.03.2023 को प्रातः 07.45 एएम पर पाबन्द शुदा दोनो स्वतंत्र गवाह उपस्थित कार्यालय आये जिन्हें कार्यालय में बैठाया गया। इसके बाद समय 08.10 एएम पर परिवादी श्री प्रवीण कुमार अपनी स्वयं की बेलेनो कार से उपस्थित कार्यालय आया एवं कार को कार्यालय परिसर में खडा कर मेरे समक्ष उपस्थित होकर मुझे बताया कि वह घरेलू कार्य में व्यस्त होने तथा आरोपी द्वारा मांगी गई रिश्वत राशि का इन्तजाम नहीं होने उपस्थित नहीं हो सका था तथा बताया कि दिनांक 25.02.2023 को आरोपी रामेश्वर सिंह ने मुझे व्हाटसएप कॉल कर पैसे के संबंध में बातचीत की थी जिसको मैने मेरे दूसरे मोबाईल में रिकार्ड कर लिया था जो मेरे मोबाईल फोन में सुरक्षित सेव है, आज वह आरोपी द्वारा मांगी गई रिश्वत राशि 06 लाख रूपये में से उस पर 2 लाख रूपये भारतीय चलन मुद्रा राशि की ही व्यवस्था हो पाई थी जिस पर वह दो लाख रूपये भारतीय चलन मुद्रा के एवं 4 लाख रूपये के 500–500 व 2000–2000 रू. के डमी करेंसी नोट कुल राशि 06 लाख रूपये साथ लेकर आया है तथा परिवादी ने बताया कि आज आरोपी रामेश्वर सिंह एसई अलवर में है तथा उसने मुझे व्हाटस–एप कॉल कर पैसे लेकर सर्किट हाउस अलवर के पास आने को कहा है एवं बुलाया

है तो मैने उससे एक डेढ बजे के आस पास मिलने को कहा है, जिस पर परिवादी को कार्यालय में बैठाया गया । इसके बाद उपस्थित गवाहान श्री विष्णु कुमार सिंह वरिष्ठ सहायक व श्री उदित आर्य कनिष्ठ सहायक को एवं उपस्थित परिवादी श्री प्रवीण कुमार को मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपने कक्ष में बुलाकर दोनो गवाहान से ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह साथ रहने की सहमति प्राप्त की गई तथा दोनो गवाहान का उपस्थित परिवादी श्री प्रवीण कुमार से आपस में परिचय करवाया गया तथा परिवादी द्वारा श्री रामेष्वर सिंह अधीक्षण अभियन्ता क्वालिटी कन्ट्रोल साव निर्माण विभाग अलवर के विरूद्ध रिश्वत मांगने एवं रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडवाने बाबत पेश लिखित रिपोर्ट दिनांक 10.01.2023 को दिखाया व पढवाया गया जिसके बारे में दोनो गवाहान ने परिवादी से वार्ता की एवं रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के संबंध में पूछताछ की तथा रिपोर्ट को सही मानते हुये परिवादी की रिपोर्ट पर दोनो गवाहो ने अपने–अपने हस्ताक्षर दिनांक सहित अंकित किये गये।इसके बाद समय 08.40 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री प्रवीण कुमार के सामने कार्यालय अलमारी से डिजीटल वाईस रिकार्डर मैमोरी कार्ड डले सहित जिसमें परिवादी श्री प्रवीण कुमार एवं आरोपी श्री रामेश्वर सिंह अधीक्षण अभियन्ता के मध्य दिनांक 10.01.2023 को रूबरू हुई रिश्वत मांग सत्यापन संबंधी वार्ता रिकार्ड है को निकालकर उक्त डिजीटल वॉईस रिकार्डर को कार्यालय कम्प्यूटर की मदद से चालू कराकर उसमें रिकार्ड वार्ता को टेविल स्पीकरों की मदद से सुन व परिवादी एवं दोनो गवाहान को सुनाकर साथ साथ ही वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई गई, उक्त वार्ता अनुसार ओापी श्री रामेश्वर सिंह एसई क्वालिटी कन्ट्रोल द्वारा परिवादी से उसके पिता श्री कुन्दन सिंह के नाम की फर्म द्वारा कठूमर खेड़ली उपखण्ड में कराये गये रोड निर्माण कार्यो के भुगतान हेतु रोड की क्वालिटी संबंधी रिपोर्ट सही देने की एबज में 15 लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग करना एवं 2.50 लाख रूप्ये पूर्व में प्राप्त करना स्वीकारना एवं वक्त सत्यापन 1.50 लाख रू. परिवादी से प्राप्त करना एवं 6 लाख रूप्ये दो किस्तो में देना तय करना व 5 लाख रू. का बाद में हिसाब करना एवं 6 लाख रूप्ये की राशि दो किस्तों में दिया जाना स्पष्ट पाया गया। उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये, उक्त वार्ताओं में परिवादी श्री प्रवीण कुमार द्वारा अपनी एवं आरोपी श्री रामेश्वर सिंह एसई क्वालिटी कन्ट्रोल की आवाज होने की पहचान की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता से शब्द–ब–शब्द मिलान किया तथा वार्ता ट्रांसक्रिप्ट का दोनो गवाहान तथा परिवादी ने सही होना स्वीकार किया, तत्पश्चात डिजीटल वॉईस रिकार्डर में डले मैमोरी कार्ड में रिकार्ड उक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को कार्यालय कम्प्यूटर की मदद से तीन खाली डीवीडीयों मैक मॉडल WRITEX DVD-R DVD-RECORDABLE 120MIN/4-7 GB 16X में संग्रहित करवाया जाकर बाद मिलान वार्ता सही संग्रहित होना सुनिश्चित कर संग्रहित शुदा तीनों डीवीडीयों पर अलग अलग मार्क A-1, (A-2मुल्जिम प्रति), (A-3आईओ प्रति) अंकित कराकर डीवीडीयों के उपर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये गये तथा तीनों डीवीडीयों में से दो डीवीडी मार्क A-1, (A-2 मुल्जिम प्रति) को प्लास्टिक डीवीडी कवरों में अलग अलग रखवाकर डीवीडीयों को कवरों सहित कपडे की थैलियो में अलग अलग रखकर सुईधागे से सिलवाकर शील्ड मोहर कर थैलियों के उपर भी मार्का अंकित कराकर एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा एक डीवीडी मार्क (A-3 आईओ प्रति) को अनशील्ड वास्ते अनुसंधान पत्रावली पर रखा गय , उक्त प्रकिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में डले मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की डीवीडीयां बनाने में किसी भी प्रकार की कोई छेडछाड एवं कांटछाट नही की गई है तत्पश्चात दोनो शील्डशुदा डीवीडी मार्क A-1, (A-2 मुल्जिम प्रति) को मालखाना प्रभारी को जमा मालखाना हेतु सुपुर्द किया गया।इसके बाद समय 12.10 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के सामने मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री प्रवीण कुमार को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिये कहा तो परिवादी ने भारतीय चलन मुद्रा के 500–500 रूपये के 400 नोट कुल राशि 2,00,000/–रूपये व 500 व 2000 रूपये जैसे दिखने वाले "भारतीय मनोरंजन बैंक" के डमी करेंसी नोटों की 05 गड्डिया (जिनमें 500–500 रू. के 408 नोट व 2000–2000 रू. के 98 नोट) कुल पांच सौ छः नोट राशि

4,00,000/–रूपये अपने पास से निकालकर रिश्वत राशि के रूप में पेश किये। इस प्रकार उक्त रिश्वत राशि कुल 6,00,000/–रूपये (दो लाख रूपये प्रचलित भारतीय मुद्रा एवं चार लाख रूपये डमी करेंसी) पेश किये, परिवादी द्वारा गवाहान के समक्ष पेश की गई प्रचलित भारतीय मुद्रा के 2,00,000/–रूपये (दो लाख) के नोटो का विवरण फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी में अंकित कराया जाकर गवाहान व परिवादी को दिखाया जाकर मिलान दोनो गवाहान से करवाया गया। उपरोक्त के अतिरिक्त 500 व 2000 रूपये जैसे दिखने वाली डमी करेंसी के (जिनमें 500–500 रू. के 408 नोट व 2000–2000 रू. के 98 नोट) कुल 506 नोट राशि 4,00,000 रूपये है। उक्त सभी डमी नोटो पर "भारतीय मनोरंजन बैंक" लिखा हुआ है तथा 500 रूपये के सभी डमी नोटों पर DUK616850 नम्बर अंकित है एवं 2000 रूपये के सभी नोटों पर **FULL OF FUN** लिखा हुआ है, नम्बर अंकित नहीं है। उपरोक्त रिश्वती राशि मुताबिक रिश्वत मांग सत्यापन वार्तानुसार संदिग्ध आरोपी को दी जानी है, उक्त प्रचलित भारतीय मुद्रा के 500–500 रूपये के 400 नोटों एवं डमी करेंसी के 500–500 रूपये के 408 नोट एवं 2000–2000 हजार के 98 नोटों पर पृथक पृथक फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने हेतु श्री धर्मवीर गुर्जर वरिष्ठ सहायक को कार्यालय कक्ष में बुलाया जाकर कार्यालय की अलमारी के अन्दर से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी निकलवाकर मंगाई जाकर श्री धर्मवीर गुर्जर वरिष्ठ सहायक से एक साफ अखवार टेविल पर बिछवाकर उस अखवार के उपर फिनोफ्थलीन पाऊडर निकलवाकर सभी नोटो पर भली–भांति लगवाया गया, तत्पश्चात परिवादी श्री प्रवीण कुमार की जामा तलासी स्वतंत्र गवाह श्री उदित आर्य से लिवाई गई जिसमें परिवादी के पास बदन पर पहने हुये कपडों व मोबाईल फोन, कार की चाबी, एक सुदामा आश्रम मिठाईवाला लिखा हुआ कैरी बैग के अलावा कोई वस्तु नहीं छोडी गई। इसके बाद श्री धर्मवीर गुर्जर वरिष्ठ सहायक से फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे हुये डमी करेंसी के 2000–2000 रूपये एवं 500–500 रूपये के 506 नोटो की पांच गड्डिया, को भारतीय चलन मुद्रा के 500–500 रूपये के 400 नोटों की चार गड्डियों के बीच में रखी कुल राशि 06 लाख रूपये की 09 गड्डियों को परिवादी के पास मौजूद ,,सुदामा आश्रम मिठाईवाला लिखे हुये कैरी बैग के अन्दर रखवाकर उक्त केरी बैग पर भी कुछ मात्रा में फिनोफथलीन पाउडर लगवाकर परिवादी को सुपुर्द किये गये तथा परिवादी को समझाईस की गई कि अब वह इन पाऊडरयुक्त नोटो को अनावश्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी के मांगने पर ही कैरी बैग से निकालकर उसे देवे तथा आरोपी द्वारा उक्त नोटो को प्राप्त करके कहां पर रखता है, इसका पूरा–पूरा ध्यान रखे तथा कोई बहाना बनाकर अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर अथवा अपनी कार की पार्किंग लाईट जलाकर या मोबाईल फोन से मिसकॉल अथवा मैसेज कर मुझे या ट्रेप पार्टी के सदस्यों को ईशारा करे साथ ही दोनो स्वतंत्र गवाहो को भी हिदायत दी गई कि वे जहां तक सम्भव हो सके परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाले रिश्वत के लेन–देन को देखने तथा उनके मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें साथ ही समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यो को भी आवश्यक हिदायतें दी गई। इसके बाद श्री राजवीर सिंह कानि0 443 से एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया और अजय कुमार मुख्य आरक्षक से ट्रेप बोक्स मंगवाकर उसमें से सोडियम कार्वोनेट पाऊडर की शीशी को निकलवाकर गवाह श्री उदित आर्य से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर उक्त गिलास के पानी में डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो उक्त घोल का रंग नहीं बदला, साफ सफेद रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाऊडर लगाने वाले श्री धर्मवीर गुर्जर वरिष्ठ सहायक के हाथों की अंगुलियों व अंगुठें को डुबोकर धुलवाया गया तो गिलास के धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया, जिसे सभी हाजरीन ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। इस प्रकार परिवादी एवं दोनो स्वतत्र गवाहो को फिनोफ्थलीन व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की रासायनिक प्रतिक्रिया के महत्व को दृष्टांत दिलवाकर समझाया गया और फिनोफथलीन पाऊडर की शीशी को ढक्कन बंद करवाकर श्री धर्मवीर गुर्जर वरिष्ठ सहायक से वापस कार्यालय की आलमारी में तथा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की शीशी को ट्रेप बोक्स में

अजयकुमार मुख्य आरक्षक के मार्फत उसके हाथ साफ कराने के बाद रखवाया गया। इसके बाद श्री धर्मवीर गुर्जर वरिष्ठ सहायक से उक्त गिलास के धोवन को बाहर फिकवाया गया और काम में लिये गये अखवार को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा उसके दोनो हाथों एवं गिलास को साबुन पानी से साफ करवाया गया तथा गिलास को कार्यालय में रखवाया गया। इसके बाद ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों–कांच की खाली शीशीयां मय ढक्कन, स्टील कटोरों, गिलासों, चम्मच आदि को अजय कुमार मुख्य आरक्षक से साबुन पानी से साफ करवाकर ट्रेप बोक्स में रखवाया गया। इसके बाद दोनो गवाहान, परिवादी एवं श्री राजवीर कानि. एवं ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से धुलवाये गये तथा मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा भी अपने हाथ साबुन पानी से साफ किये। इसके बाद परिवादी को छोडकर दोनों गवाहान तथा ट्रेप पार्टी सदस्यों व मन पुलिस उप अधीक्षक की आपस में एक दूसरे से जामा तलासी लिवाई गई जिसमें दोनो स्वतंत्र गवाहो के पास मोबाईल फोन तथा मन पुलिस उप अधीक्षक एवं स्टाफ सदस्यों के पास विभागीय पहचान पत्र व मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बांद श्री प्रवीण कुमार को रिश्वत लेन–देन के समय संदिग्ध आरोपी से होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये वाईस रिकार्डर जिसमें दिनांक 10.01.2023 की रिश्वत मांग सत्यापन के समय की रिकार्डशुदा वार्ताओं का एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB लगा हुआ है, को चालू व बंद करने की विधि समझाकर परिवादी को बाद हिदायत सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत दी गई। इस कार्यवाही की पृथक से फर्द मुर्तिव कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये गये। इसके बाद समय समय 01.15 पीएम पर कार्यालय स्टाफ को अपने कक्ष में बुलाकर सभी के हाथों को साबुन व पानी से साफ करवाया जाकर एवं परिवादी को बताये गये ईशारे से अवगत कराया जाकर एवं जामा तलाशी लिवाई जाने के बाद परिवादी श्री प्रवीण कुमार को उसके द्वारा लाई हुई स्वयं की बलेनो कार नम्बर आरजे 02 सीएफ–4391 से गवाह श्री उदित आर्य को वास्ते परिवादी के वाहन का चालक बनाकर उसके हमराह आगे आगे आरोपी द्वारा बताये गये स्थान भवानी तोप सर्किल के पास स्थित सरस डेयरी बूथ अलवर के लिये रवाना किया गया तथा उसके पीछे–पीछे श्री राजवीर सिंह कानि0 को एवं अजय कुमार हैड कानि0 नम्बर 36 व श्री लल्लूराम कानि0 नं0 487 को राजवीर सिंह कानि0 के निजी प्राईवेट वाहन क्रेटा कार से रवाना कर मन पुलिस उप अधीक्षक परमेश्वर लाल मय स्वतत्र गवाह श्री विष्णु कुमार सिंह एवं स्टाफ सदस्य श्री रामजीत सिंह कानि0 206 एवं मय कानि0 चालक श्री महेश कुमार के हमराह उसके निजी प्राईवेट वाहन सिफ्ट कार से मय ट्रेप बोक्स एवं लेपटोप मय प्रिंटर आदि सामग्री के लेकर एसीबी कार्यालय अलवर द्वितीय से भवानी तोप सर्किल के पास स्थित सरस डेयरी बूथ अलवर के लिये रवाना हुआ, कार्यालय में निहाल सिंह कानि0 एवं धर्मवीर गुर्जर वरिष्ठ सहायक को बाद हिदायत छोडा गया, समय 01.30 पीएम पर मन पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहीयान के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा भवानी तोप सर्किल के पास स्थित सरस डेयरी बूथ अलवर के पास पहुंचा जहां पर परिवादी प्रवीण कुमार व गवाह उदित आर्य कार से भवानी तोप सर्किल के पास स्थित सरस डेयरी बूथ अलवर के पास पहुंचे एवं वहां पर पहले से खडी हुई सफेद रंग की होण्डा सिटी कार नम्बर आरजे–14 एक्ससी 4966 के दाहिनी तरफ अपनी कार को खडा कर दिया, जिस पर मन पुलिस उप अधीक्षक मय स्टाफ, गवाह के उनके आस पास पहुंच कर कुछ दूरी बनाते हुये उन पर निगरानी रखते हुये वाहनों में ही मुकीम हुआ। कुछ समय के बाद परिवादी अपनी स्वयं के कार से नीचे उतरा तथा गवाह उक्त कार में ही चालक सीट पर बैठा रहा, परिवादी अपनी कार से उतर कर पास में ही खडी हुई होण्डा सिटी कार नम्बर आरजे–14 एक्ससी 4966 के पास गया और उक्त कार में चालक सीट पर बैठे हुये व्यक्ति से बात कर उस कार में आगे की साईड में चालक के बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गया और कुछ समय के बाद ही परिवादी उस कार के अन्दर से बाहर आया और सीधा ही सरस डेयरी बूथ पर गया और बूथ से तीन छांछ के पाउच लेकर वापस वापस होण्डा सिटी कार के पास जाकर चालक साईड के गेट का शीशा कार के अन्दर बैठे व्यक्ति से खुलवाकर दो छाछ के पाउच कार में बैठे व्यक्ति को दिये और अपनी स्वंय की कार के पास आकर एक छाछ का

पाउच स्वयं की कार में बतौर चालक बैठे हुये स्वतंत्र गवाह श्री उदित आर्य को देकर वापस उसी होण्डा सिटी कार के पास गया और चालक सीट पर बैठे व्यक्ति से कुछ बातचीत कर वापस सरस डेयरी बूथ पर गया और वहां से दो स्ट्रीक लेकर वापस उसी होण्डा सिटी कार के पास गया और चालक सीट पर बैठे व्यक्ति को गेट के खुले कांच में से स्ट्रीक दी और वापस अपनी कार पर आकर उसके आगे बांयी तरफ का गेट खोलकर उसमें से रिश्वत राशि रखा कैरी बैग निकाल कर वापस उसी होण्डा सिटी कार के पास चालक साईड में गया और उक्त राशि रखा कैरी बैग कार के गेट के खुले हुये कांच से अन्दर चालक सीट पर बैठे व्यक्ति हो दे दिया और फिर परिवादी उस कार के पीछे से होता हुआ कार के बांयी तरफ आगे का गेट खोलकर अन्दर सीट पर जाकर बैठ गया, उक्त दृश्य मन पुलिस उप अधीक्षक एवं गवाहान एवं स्टाफ सदस्यों द्वारा देखा। इसके बाद समय 01.43 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के सामने परिवादी श्री प्रवीण कुमार ने भवानी तोप सर्किल के पास स्थित सरस डेयरी बूथ पार्लर अलवर के पास एक सफेद रंग की होण्डा सिटी कार नम्बर– आरजे–14 एक्स सी 4966 के अन्दर से बाहर निकलकर अपने सिर पर हाथ फेरकर ट्रेप का निर्धारित ईशारा किया और ईशारा कर वापस उसी कार के अन्दर आगे की बांयी तरफ की सीट पर बैठ गया, परिवादी का निर्धारित ईशारा मिलने पर मन पुलिस उप अधीक्षक मय उपरोक्त गवाहान व ट्रैप पार्टी सदस्यों को साथ लेकर तुरन्त ही उक्त कार के पास पहुंचा जहां पर उक्त सफेद रंग की कार के अन्दर ड्राईवर सीट पर एक व्यक्ति पैन्ट शर्ट चस्मा लगाये बैठा हुआ तथा उसकी बगल वाली सीट पर परिवादी बैठा हुआ मिला, जिस पर परिवादी से वॉईस रिकार्डर लेकर बन्द कर सुरक्षित रखा तत्पश्चात परिवादी ने उक्त कार में ड्राईवर सीट पर पैन्ट शर्ट चस्मा लगाये बैठे हुये व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि ये ही रामेश्वर सिंह एसई क्वालिटी कन्ट्रोल सा0 नि0 विभाग अलवर है जिन्होने अभी–अभी मुझसे मांगकर 6,00,000/–रूपये रिश्वत में अपने दाहिने हाथ से लेकर अपनी इस कार के डैस्कबोर्ड में अपने हाथ से रख लिये है। तत्पश्चात परिवादी के कथानुसार उक्त कार के अन्दर ड्राईवर सीट पर पैन्ट शर्ट चस्मा लगाये बैठे हुये व्यक्ति को मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपना व हमराहियान का परिचय देते हुए एवं अपना आने का प्रयोजन बताते हुए उससे उसका परिचय पूछा तो उसने घबराते हुए अपना नाम रामेश्वर सिंह पुत्र श्री बदनलाल जाति जाटव उम्र करीब 52 साल निवासी मुड़िया तहसील नगर जिला भरतपुर हाल आवाद मकान नम्बर बी–33 रूप बिहार न्यू सांगानेर रोड जयपुर हाल अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) सार्वजनिक निर्माण विभाग क्वालिटी कन्ट्रोल वृत जयपुर 02 जयपुर मुख्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग अलवर होना बताया, जिससे परिवादी से अभी अभी प्राप्त की गई 06 लाख रूपये की रिश्वत राशि कहां है के बारे में पूछा गया तो उसने उक्त राशि कार के डैस्क बोर्ड में रखी होना बताया जिस पर गवाह श्री विष्णु कुमार सिंह से उक्त कार के डैस्क बोर्ड को खुलवाकर दिखवाया गया तो उसके अन्दर राशि सुदामा आश्रम मिठाईवाला लिखे कैरी बैग सहित रखी मिली जिसको कैरी बैग सहित उक्त गवाह से बाहर निकलवाया जाकर उक्त गवाह के पास ही सुरक्षित रखवाया गया, इसी बीच मौके पर राहगीरों व आस पास के दुकानदारों की काफी भीड एकत्रित हो गई और कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करने लगी जिस पर मौके के हालातों को देखते हुये एवं मौके पर अग्रिम कार्यवाही हेतु उपर्युक्त स्थान नहीं होने पर आरोपी रामेश्वर सिंह को कार में ही बैठाकर तथा साथ में दोनो गवाहों को बैठाया जाकर उक्त कार को जरिये राजवीर सिंह कानि0 ड्राईविंग कराते हुये तथा मन पुलिस उप अधीक्षक मय जाप्ता एवं परिवादी को हमराह लेकर साथ में लाये हुये प्राईवेट वाहनों के जरिये घटना स्थल से रवाना होकर समय करीब 02.05 पीएम पर एसीबी कार्यालय अलवर द्वितीय पर आया एवं उक्त कार एवं अन्य वाहनों को कार्यालय परिसर में खडा करवाया जाकर आरोपी रामेश्वर सिंह को उक्त कार से सम्मान के साथ बाहर उतार कर एवं उसकी कार को लॉक कर चाबी गवाह के पास सुरक्षित रखवाते हुये हमराह लेकर गवाहान, परिवादी एवं जाप्ता सहित कार्यालय कक्ष में लाया जाकर गवाहान, परिवादी एवं जाप्ता की उपस्थिति में आरोपी रामेश्वर सिंह को कुर्सी पर बैठाया गया। इसके बाद आरोपी श्री रामेश्वर सिंह अधिक्षण अभियन्ता से परिवादी श्री प्रवीण कुमार से इसके पिता श्री कुन्दन सिंह के नाम की फर्म द्वारा

(8)

कठूमर–खेडली उपखण्ड में कराये गये रोड निर्माण कार्यो के भुगतान हेतु सभी रोडो की गुणवत्ता संबंधी रिपोर्ट देने के बदले में दौराने रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 10.01.2023 को 15 लाख रूपये बतौर रिश्वत मांग करने एवं 02.50 लाख रूपये पूर्व में परिवादी से लेना स्वीकार करते हुये सत्यापन के समय ही 01.50 लाख रूपये परिवादी से प्राप्त करने एवं 06 लाख रूपये दो किस्तों देना तय करते हुये आज अभी अभी परिवादी को बुलाकर उससे रिश्वत में मांग कर प्राप्त की गई 06 लाख रूपये की रिश्वत राशि के बारे में पूछा गया तो आरोपी रामेश्वर सिंह अधीक्षण अभियन्ता ने बताया कि–मैने प्रवीण कुमार से कोई रिश्वत राशि न तो मांगी और नांही आज ली गई है, दुबारा तसल्ली देकर पूछा तब बताया कि ये रूपये मेरे से पहले प्रवीण कुमार ने मुझसे उधार लिये थे जो आज इसने मुझे लाकर दिये है जो मैने लेकर अपनी इस कार के डैस्कबोर्ड में रख लिये है, जब कब–कब कितने कितने रूपये उधार के दिये के बारे में पूछा जाने पर वह चुप रहा तथा पुनः पूछने पर कुछ सोच विचार कर उसने स्वयं के पास उधार रूपये देने का कोई रिकार्ड नहीं होना बताया तथा बताया कि इस प्रवीण कुमार की फर्म मैसर्स कुन्दन सिंह कॉन्टेक्टर के नाम से मेरे पास कोई काम बकाया नहीं है, मेरा मुख्य कार्य विभाग में जो निर्माण कार्य होते है उनकी गुणवत्ता की जांच कर सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ताओ को रिपोर्ट देना होता है। मेरे द्वारा फर्म कुन्दन सिंह द्वार कराये गये निर्माण कार्यो की कोई जांच नहीं की गई थी सिर्फ इनके कार्यो का निरीक्षण करने मौके पर जरूर गया था, किन्तु मैने कोई जांच नहीं की। मैने इनके द्वारा कराई गई सीसी रोडो की कोई कोर कटिंग नहीं काटी गई थी। इस प्रवीण कुमार ने मुझे गलत फसाया है। इसके बाद आरोपी श्री रामेश्वर सिंह अधीक्षण अभियन्ता क्वालिटी कन्ट्रोल द्वारा लिये गये उक्त बचाव के संबंध मे मौके पर उपस्थित परिवादी श्री प्रवीण कुमार से पूछताछ की गई तों परिवादी ने आरोपी रामेश्वर सिंह द्वारा बताये गये कथनों को झूंठा बताते हुये बताया कि हमारी फर्म मैसर्स कुन्दन सिंह कॉन्टेक्टर के नाम से पंजीकृत है तथा उक्त फर्म का मै ए.ए. क्लास का पार्टनर कॉन्टेक्टर हूं तथा मै रोड निर्माण का कार्य करता हूं। मै कठूमर खेड़ली उपखण्ड में कार्य कर रहा हूं। जिसका करीबन मेरा 03 करोड के लगभग भुगतान बकाया चल रहा है इन रामेश्वर सिंह एसई क्वालिटी कन्ट्रोल द्वारा मेरी फर्म द्वारा बनाई गई रोडो की सीसी रोड की कोर कटिंग सैम्पलिंग की गई तथा मुझे धमकी देते हुये कहा गया था कि आपका बकाया बिल पास नहीं होगा ये रोडो के कोर का सैम्पल लैबोट्री में भेजकर आपके विरूद्ध रिपोर्ट मंगवा लूंगा वरना आप मेरे को रिश्वत राशि 15 लाख रूपये दे दो नही तो सैम्पल को लैब में भेज दूंगा इसके लिये इन्होने मुझे 04.01.2023 को अपने घर जयपुर बुलाया और मुझसे धमका कर 2.50 लाख रूपये रिश्वत में ले लिये और बाकी के भी रूपये जल्दी देने को कहा कि मै अलवर अगले सप्ताह आउंगा तब आप मुझे मिलना तथा रूपये लेकर आना ये मुझे बार–बार रिश्वत के लिये परेशान कर रहे थे और मेरा भुगतान नीचे के अधिकारियों को नहीं करने की कहकर रूकवा लिया गया और दिनांक 10.01. 2023 को इन्होने मुझे अलवर में रूपये लेकर आने को कहा जिस पर मैने दिनांक 10.01.2023 को इन्हें रिश्वत लेते रंगे हाथो पकडवाने के लिए आपके विभाग में आपके पास अलवर आकर लिखित रिपोर्ट दी थी जिस पर आपने दिनांक 10.01.2023 को ही मुझे अपने कर्मचारी कानिस्टेबिल श्री राजवीर सिंह के साथ रिश्वत मॉग सत्यापन के लिए टेप रिकार्डर सहित इनके पास भेजा था तो इन्होने मुझे फोन करके सर्किट हाउस अलवर के पास बुलाकर अपनी सरकारी गाडी से सरस डेयरी बूथ पर आकर मुझे अपनी गाडी के अन्दर बैठा कर हमारी फर्म द्वारा कठूमर खेड़ली उपखण्ड में कराये गये रोड निर्माण कार्यो की क्वालिटी रिपोर्ट सही देने एवं भुगतान दिलाने के बदले में 15 लाख रूपये की मांग कर पूर्व में मुझसे लिये हुये 02.50 लाख रूपये प्राप्त करना स्वीकार करते हुये उसी समय इन्होने मुझसे 01.50 लाख रूपये ले लिये और 06 लाख रूपये दो किस्तो में देने एवं 05 लाख रूपये का बाद में हिसाब करने की कहा एवं 06 लाख रूपये दो किस्तों में दो चार रोज बाद देने हेतु तय किया और इन्होने अपनी उसी मॉग के अनुसरण मे आज मुझे बार बार व्हाटसअप कॉल कर भवानी तोप सर्किल सरस डूयरी बैथ के पास अलवर में बुलाकर अपनी होण्डा सिटी में बैठे–बैठे हुये तथा मुझे अपनी कार में अपनी बगल वाली सीट पर बैठाकर मेरे कार्य के संबंध मे बातचीत करते हुए मुझसे 06

लाख रूपयें अपने दाहिने हाथ में लेकर देखकर अपनी कार के डैस्कबोर्ड के अन्दर रख दिये, और इन्होने मुझसे सरस डेयरी से छांछ की थैली पीने के लिये मंगाई जो मैने पास ही स्थित सरस डेयरी बूथ पर से फोन–पे से पेमेंट कर लाकर इनको दी थी और फिर मैने आपको रिश्वती स्वीकृति का ईशारा अपने सिर पर हाथ फेरकर दिया था। मेरे द्वारा इनको उक्त 06 लाख रूपये की रिश्वत राशि इनकी मॉग अनुसार एवं इनके कहे अनुसार दी गई हैं न कि जबरदस्ती दी गई है। इसके बाद आरोपी श्री रामेश्वर सिंह अधीक्षण अभियन्ता से परिवादी द्वारा बताये गये उक्त तथ्यों के संबंध मे एक बार पुनः पूछताछ की गई तो आरोपी रामेश्वर सिंह नें अपने पूर्व मे दिये गये कथनों के अलावा अन्य कोई नई बात नही बताई । इसके बाद श्री लल्लूराम कानि0 487 से कार्यालय परिसर में लगे वाटर कूलर में से एक बडी प्लास्टिक की बोतल मे साफ पानी मॅगवाया गया तथा ट्रैप बॉक्स से दो स्टील के कटोरा निकलवाकर उन्हे साफ पानी व साबुन से साफ कराकर उक्त स्टील के कटोंरो में बोतल में से साफ पानी भरवाकर उनमें गवाह श्री उदित आर्य से एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया तो दोनो स्टील के कटोंरो के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल का रंग साफ सफेद होना स्वीकार किया। इसके बाद एक स्टील कटोरा के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल मे आरोपी श्री रामेश्वर सिंह अधीक्षण अभियन्ता के दाहिने हाथ की अगुलियो व अगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का झांयीदार मामूली गुलावी हुआ हो गया। जिसे सभी हाजरीन ने देखकर धोवन का रंग हल्का झांयीदार मामूली सा गुलावी होना स्वीकार किया तत्पश्चात् उक्त धोवन को दो साफ कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरवाकर शीशीयों को सील चिट मोहर कर मार्क **RH-1, RH-2** अंकित कर चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उसके बाद दूसरे स्टील कटोरे के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल मे आरोपी श्री रामेश्वर सिंह अधीक्षण अभियन्ता के बांये हाथ की अगुलियो व अगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया। जिसे सभी हाजरीन ने देखकर धोवन का रंग गदमैला होना स्वीकार किया तत्पश्चात् उक्त धोवन को दो साफ कॉच की शीशीयों मे आधा आधा भरवाकर शीशीयों को सील चिट मोहर कर मार्क **LH-1, LH-2** अंकित कर चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री रामेश्वर सिंह अधीक्षण अभियन्ता द्वारा परिवादी श्री प्रवीण कुमार से प्राप्त की गई 06 लाख –रूपये की रिश्वत राशि जो आरोपी स्वयं की होण्डा सिटी कार नम्बर आरजे–14 एक्स सी 4966 के डैस्कबोर्ड में,, सुदामा आश्रम मिठाईवाला लिखे कैरी बैग में रखी हुई मिली जो गवाह विष्णु कुमार सिंह से निकलवाकर उक्त गवाह के पास सुरक्षित रखवाई गई थी, उक्त सुदामा आश्रम मिठाईवाला लिखे कैरी बैग में रखे हुए नोटो की गड्डियों को गवाह विष्णु कुमार सिंह से बाहर निकलवाकर चैक करवाया गया तों उक्त कैरी बैग के अंदर भारतीय चलन मुद्रा के 500–500 रूपये के 400 नोट कुल दो लाख रूपये एवं डमी करेंसी के 500–500 रूपये के 408 नोट एवं 2000–2000 हजार के 98 नोट कुल चार लाख रूपये 09 गड्डियों मे कुल 06 लाख रूपये मिले उक्त बरामद शुदा भारतीय चलन मुद्रा के एवं डमी करेंसी नोटो का मिलान दोनो गवाहान सें कार्यालय मे तैयार की हुई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटो के विवरणो सें करवाया गया तो मिलान सही होना पाया गया, बरामद शुदा भारतीय चलन मुद्रा के 500–500 रूपये के 400 नोट कुल दो लाख रूपये एवं डमी करेंसी 4 लाख के नोटो का विवरण फर्द में अंकित करवाया जाकर बरामद शुदा भारतीय चलन मुद्रा के 500–500 रूपये के 400 नम्बरी नोट कुल दो लाख रूपये एवं डमी करेंसी के 500–500 रूपये के 408 नोट एवं 2000–2000 हजार के 98 नोट कुल चार लाख रूपये 09 गड्डियों मे कुल 06 लाख रूपये रिश्वती नोटों को रबड बैड लगी गड्डियों सहित एक साथ कर मय सुदामा आश्रम मिठाईवाला लिखे कैरी बैग सहित बाद मिलान के एक पीले रंग के लिफाफा में रखकर लिफाफे के उपर परिवादी, दोनो गवाहान व आरोपी रामेश्वर सिंह के हस्ताक्षर करवाकर तथा लिफाफे को सील्ड कर वजह सबूत कब्जे पुलिस लिया गया। तत्पश्चात् एक स्टील के कटोरे में सोडियम कार्बोनट का घोल तैयार करवाकर उक्त घोल में आरोपी रामेश्वर सिंह अधीक्षण अभियन्ता की होण्डा

सिटी कार नम्बर आरजे–14 एक्ससी 4966 का गवाह के पास पूर्व में सुरक्षित रखवाई हुई चाबी से लॉक खुलवाकर उक्त कार के डैस्कबोर्ड जहा से रिश्वती राशि बरामद हुई है को गवाह श्री उदित आर्य से एक साफ सफेद रूई के फोवें की सहायता से धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे भी दो साफ कॉच की शीशियों मे आधा आधा भरवाकर शीशीयों पर चिंट चस्पा कर मार्क **DB-1, DB-2** अंकित कर शील्ड मोहर कर चीट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। रूई के फोवे को सुखाकर एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर थैली को सील मोहर कर मार्क एफ,, अंकित कर थैली पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद उक्त होण्डा सिटी कार नम्बर आरजे–14 एक्ससी 4966 की तलासी दोनो गवाहान से लिवाई गई तो उक्त कार के अन्दर स्वयं आरोपी के नाम पदनाम एसई का विभागीय परिचय पत्र मिला के अलावा अन्य कोई संदिग्ध राशि व दस्तावेज आदि नहीं मिले। आरोपी श्री रामेश्वर सिंह अधीक्षण अभियन्ता क्वालिटी कन्ट्रोल कों परिवादी की फर्म मैसर्स कुन्दन सिंह द्वारा कराये गये रोड निर्माण कार्यो से सम्बन्धित रिकार्ड आदि के बारे मे पूछा गया तो उसने स्वयं के पास कोई रिकार्ड नहीं होना बताया, इसके बाद मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री प्रवीण कुमार से प्राप्त शुदा डिजिटल वाईस रिकॉडर को दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में चालू कर ईयरफोन की मदद से सुना गया तो डिजिटल वाईस रिकॉडर में परिवादी व आरोपी के मध्य रिश्वत लेन–देन के समय की मोबाईल व रूबरू वार्ता रिकार्ड होना पाई, जिसकी ट्रांसक्रिप्ट एवं डीवीडी पृथक से तैयार की जावेगी। इसके बाद आरोपी श्री रामेश्वर सिंह अधीक्षण अभियन्ता क्वालिटी कन्ट्रोल व परिवादी श्री प्रवीण कुमार को एक साथ आमने सामने कर पूछा गया कि आपकी कोई आपसी रंजिश या दुश्मनी या कोई रूपये पैसे का लेन–देन तो बकाया नही है तो दोनो ने ही अपनी अपनी स्वेच्छा से इन्कार किया, तत्पश्चात आरोपी द्वारा उपयोग में ली गई होण्डासिटी कार की तलाशी में मिले स्वयं आरोपी के विभागीय परिचय पत्र की फोटो प्रति कराई जाकर मूल को उसके आये हुये भतीजे विनोद कुमार को लोटाया गया। इस कार्यवाही की फर्द मुर्तिब की जाकर नमूना सील नम्बर 60 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गयें। इसके बाद समय 04.28 पीएम पर मन पुलिस उपअधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान व परिवादी एवं आरोपी श्री रामेश्वर सिंह एसई एवं जाप्ता राजवीर सिंह कानि0 443, श्री सतीश कुमार कानि0 275, श्री रामजीत सिंह कानि0 206 के जरिये सरकारी वाहन मय चालक महेश के सा0 नि0 विभाग कार्यालय अलवर स्थित आरोपी रामेश्वर सिंह एसई के कार्यालय की तलाशी एवं परिवादी के कार्य से सम्बन्धित रिकार्ड प्राप्ती हेतु रवाना सा0नि0विभाग कार्यालय अलवर हुआ होकर कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा0 निर्माण विभाग अलवर पहुंचा जहां पर आरोपी रामेश्वर सिंह एसई क्वालिटी कन्ट्रोल का अलग से कार्यालय नहीं होना और नांही कोई किसी प्रकार का रिकार्ड होना तथा अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय में अस्थाई तौर पर बैठ जाना वहां पर उपस्थित अधिशाषी अभियन्ता द्वारा बताया गया। जिसके कारण सर्च सम्भव नहीं हो पाई तत्पश्चात परिवादी के कार्य से सम्बन्धित रिकार्ड एवं क्वालिटी कन्ट्रोल की रिपोर्ट आदि बाबत रिकार्ड उपलब्ध बाबत अधीक्षण अभियन्ता सा0 नि0 विभाग अलवर को पृथक से जारी शुदा पत्र क्रमांक 328 / 22.03.2023 वांछित सूचना व रिकार्ड आज ही उपलब्ध कराने हेतु दिया जाकर प्राप्ती रसीद प्राप्त कर मन पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहीयान के जरिये सरकारी वाहन मय चालक सा0 नि0 विभाग कार्यालय अलवर से रवाना होकर समय 05.05 पीएम पर वापस एसीबी कार्यालय अलवर द्वितीय आया, एवं आरोपी रामेशवर सिंह एसई को कार्यालय में मुलाजमानों की निगरानी में रखा गया। इसके बाद समय समय 05.15 पीएम पर उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार श्री प्रेमचन्द पुलिस निरीक्षक एसीबी अलवर प्रथम अलवर उपस्थित कार्यालय आये जिन्हें परिवादी श्री प्रवीण कुमार की फर्म मैसर्स कुन्दन सिंह के द्वारा कठूमर खेडली में कराये गये रोड निर्माण कार्यो एवं भुगतान बाबत क्वालिटी कन्ट्रोल एसई की रिपोर्ट आदि से सम्बन्धित रिकार्ड सा0नि0विभाग कार्यालय कठूमर गोबिन्दगढ, राजगढ आदि से लेकर आने हेतु निर्देशित कर कार्यालय से हमराह कानि0 राजवीर सिंह नम्बर 443 के रवाना किया गया। इसके बाद गवाहान के सामने श्री रामेश्वर सिंह एसई

क्वालिटी कन्ट्रोल से परिवादी प्रवीण कुमार से प्राप्त की गई 06 लाख रूपये की रिश्वत राशि के संबंध मे पुनः पूछताछ की गई तो उसने अपने पूर्व के कथनों के अतिरिक्त अन्य कोई नई बात नहीं बताई, विस्तृत पूछताछ नोट मुर्तिब कर पढाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय 06.00 पीएम पर परिवादी श्री प्रवीण कुमार ने मांगने पर अपना आई फोन सिम नम्बर 9982981111 पेश कर बताया कि दिनांक 25.02.2023 को आरोपी रामेश्वर सिंह एसई द्वारा अपने मोबाईल नम्बर 9413668170 से मुझसे रिश्वत राशि एवं परीक्षण रिपोर्ट के संबंध में मेरे मोबाईल फोन नम्बर 9982981111 पर व्हाटसएप ऑडियो कॉल कर बातचीत की थी जिसको मैने मेरे मोबाईल का स्पीकर ऑन कर उक्त वार्ता को उक्त आई फोन में रिकार्ड कर लिया था जो वार्ता अभी भी सेव है जिस पर परिवादी से उसका मोबाईल फोन प्राप्त कर चैक किया तो उसमें दिनांक 25.02.2023 को सेव रिकार्ड वार्ता मिली जो परिवादी के कहे अनुससार सुन व गवाहान परिवादी को सुनाते हुये साथ साथ फर्द ट्रासक्रिप्ट तैयार की गई तथा मोबाईल फोन में रिकार्ड उक्त वार्ता की कानि0 रामजीत सिंह के जरिये कार्यालय कम्प्यूटर की मदद से तीन खाली डीवीडीयों मैक मॉडल WRITEX DVD-R DVD-RECORDABLE 120MIN/4-7 GB 16X में संग्रहित करवाया जाकर बाद मिलान वार्ता सही संग्रहित होना सुनिश्चित कर संग्रहित शुदा तीनों डीवीडीयों पर अलग अलग मार्क B-1, (B-2मुल्जिम प्रति), (B-3आईओ प्रति) अंकित कराकर डीवीडीयों के उपर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये गये तथा तीनों डीवीडीयों में से दो डीवीडी मार्क B-1, (B-2 मुल्जिम प्रति) को प्लास्टिक डीवीडी कवरों में अलग अलग रखवाकर डीवीडीयों को कवरों सहित कपडे की थैलियो में अलग अलग रखकर सुईधागे से सिलवाकर शील्ड मोहर कर थैलियों के उपर भी मार्का अंकित कराकर एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा एक डीवीडी मार्क (B-3 आईओ प्रति) को अनशील्ड वास्ते अनुसंधान पत्रावली पर रखा गया , उक्त प्रक्रिया से परिवादी के मोबाईल फोन में सेव रिकार्ड वार्ता की डीवीडीयां बनाने में किसी भी प्रकार की कोई छेडछाड एवं कांटछाट नही की गई है तत्पश्चात दोनो शील्डशुदा डीवीडी मार्क B-1, (B-2 मुल्जिम प्रति) को मालखाना प्रभारी को जमा मालखाना हेतु सुपुर्द किया गया, एवं परिवादी को उसके मोबाईल फोन में से आरोपी व परिवादी के मो0नं0 पर आपस में हुई व्हाटसएप कॉलों का स्क्रीन सोट लेकर प्रिंटआउट निकालकर बाद हस्ताक्षर शामिल फाईल किया जाकर सुपुर्द किया गया। इसके बाद समय 07.15 पीएम पर गवाहान व परिवादी के सामने परिवादी श्री प्रवीण कुमार से प्राप्त शुदा डिजिटल वॉईस रिकार्डर जिसमें दिनांक 22.03.2023 को वक्त रिश्वत लेन–देन आरोपी श्री रामेश्वर सिंह एसआई एवं परिवादी श्री प्रवीण कुमार के मध्य रूबरू हुई रिश्वत लेन–देन की वार्ता रिकार्ड है, को कार्यालय कम्प्यूटर से कनैक्ट कराकर टेबिल स्पीकर के सहयोग से सुना व परिवादी एवं गवाहान को सुनाते हुये साथ साथ वार्तालाप की फर्द ट्रासकिप्ट तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये, उक्त वार्ताओं में परिवादी श्री प्रवीण कुमार द्वारा अपनी एवं आरोपी श्री रामेश्वर सिंह एसई की आवाज होने की पहचान की गई। उक्त रूपान्तरण वार्तालाप की डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता से शब्द–ब–शब्द मिलान किया तथा वार्ता ट्रांसकिप्ट का दोनो गवाहान तथा परिवादी ने सही होना स्वीकार किया, तत्पश्चात डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड रिश्वत लेन–देन वार्ता को कार्यालय कम्प्यूटर की मदद से तीन खाली डीवीडीयों मैक मॉडल WRITEX DVD-R DVD-RECORDABLE 120MIN/4-7 GB 16X में संग्रहित करवाया जाकर बाद मिलान वार्ता सही संग्रहित होना सुनिश्चित कर संग्रहित शुदा तीनों डीवीडीयों पर अलग अलग मार्क C-1, (C-2 मुल्जिम प्रति), (C-3 आईओ प्रति) अंकित कराकर डीवीडीयों के उपर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर दो डीवीडी मार्क C-1, (C-2 मुल्जिम प्रति),को प्लास्टिक डीवीडी कवरों में अलग अलग रखवाकर डीवीडीयों को कवरों सहित कपडे की थैलियो में अलग अलग रखकर शील्ड मोहर कर थैलियों के उपर भी मार्का अंकित कराकर एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा एक डीवीडी मार्क (C-3 आईओ प्रति)को अनशील्ड वास्ते अनुसंधान पत्रावली पर रखा गया ,उक्त प्रकिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में

रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की डीवीडीयां बनाने में किसी भी प्रकार की कोई छेडछाड एवं कांटछाट नही की गई है। तत्पश्चात रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 10.01.2023 एवं आज दिनांक 22.03.2023 की लेन–देन संबंधी सेव वार्ताओं के मूल एसडी कार्ड सेनडिस्क 32 जीबी को डिजीटल वाईस रिकार्डर से निकालकर एक सफेद कागज पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर उक्त एसडी कार्ड को उस कागज में रखकर वास्ते बजह सबूत एसडी कार्ड को कागज की चिट सहित एक खाली माचिस की डिब्बी में रखकर एक सफेद कपडे की थैली में सील्ड मोहर कर मार्क **SD-1** अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया तथा दोनो शील्डशुदा डींवीडी मार्क **C-1, (C-2** मुल्जिम प्रति),को एवं शील्ड एसडी कार्ड मार्क–**SD-1** को मालखाना प्रभारी को जमा मालखाना हेतु सुपुर्द किया गया। इसके बाद समय 08.35 पीएम पर आरोपी श्री रामेश्वर सिंह अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) अलवर को उसके संवैधानिक अधिकारों से अवगत कराते हुये रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 10.01.2023 एवं मोबाईल वार्ता दिनांक 25. 02.2023 एवं रिश्वत लेन–देन वार्ता दिनांक 22.03.2023 के क्रम में अपनी आवाज का नमूना दिये जाने हेतु कहा गया तो आरोपी श्री रामेश्वर सिंह अधीक्षण अभियन्ता द्वारा गवाहान की उपस्थिति में अपनी आवाज का नमूना देने से स्पष्ट इंकार किया एवं लिखित में दिया उक्त कार्यवाही की फर्द मुर्तिव की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 08.45 पीएम पर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की मौजूदगी में आरोपी श्री रामेश्वर सिंह अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) को जुर्म से आगाह कर हस्व कायदा जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) मे नियमानुसार गिरफ्तार गया, वक्त गिरफ्तारी जामा तलाशी में आरोपी के पास से एक पर्स बरंग कॉफी कलर में जिसमें 1070/– रूपये नगद, स्वयं का ड्राईविंग लाईसेंश, एटीम डेबिट कार्ड (एसबीआई बैंक), एक मैट्रो कार्ड तथा एक कार नं. आरजे 14 एक्स सी 4966 मेक होण्डा सिटी बरंग सफेद जो श्री प्रमोद कुमार स्वामी पुत्र श्री जयराम स्वामी निवासी–प्लाट नं. 02, सैनी कॉलोनी, गोनेर रोड, जयपुर के नाम रजिस्टर्ड है तथा दो पासपार्ट साईज के स्वयं के फोटो इसके अतिरिक्त पेन्ट की बगल की सामने की दाहिनी व बांयी जेब में दो मोबाईल क्रमशः एक मोबाईल बरंग गोल्ड आईफोन–07 (आईएमईआई नं. 353833080017657) जिसमें आरोपी ने सिम नं. 9414275801 (ऐयरटेल) व दूसरा मोबाईल बरंग नेवी ब्लू सैमसंग गैलेक्सी–एम01 (आईएमईआई नं. 355688116651590) जिसमें आरोपी ने सिम नं. 9001224647 (ऐयरटेल) लगी हुई होना बताया। आईफोन 07 का पासवर्ड–123753 एवं सैमसंग गैलेक्सी–एम01 का पासवर्ड yashi होना बताया। उक्त सैमसंग गैलेक्सी–एम01 मोबाईल नम्बर 9001224647 (ऐयरटेल) का आरोपी से लॉक खुलवाकर चैक किया तो उक्त मोबाईल में व्हाटस–एप कॉल दूसरे अपनी स्वयं की पत्नी नवोदिता सिंह के मोबाईल नम्बर 9413668170 से संचालित किया मिला, जिससे दिनांक 08.01.2023 से 22.03. 2023 तक आरोपी श्री रामेश्वर सिंह की परिवादी श्री प्रवीण कुमार से उसके मोबाईल नम्बर–9982981111 के मध्य हुई वार्तालाप सम्बंधी व्हाटस–एप कॉलो की स्क्रीन सोट लेकर उसका प्रिन्ट आउट लेकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे में लिया गया तथा जामा तलाशी में मिले 1070/–रूपये का सन्तोषजनक जवाब देने के कारण उक्त राशि मय पर्स, एटीम डेबिट कार्ड, मैट्रो कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, एक पासपोर्ट साईज फोटो कार्यालय में उपस्थित आये आरोपी के भतीजे श्री विनोद कुमार पुत्र श्री टीकम राम को आरोपी के कहे अनुसार वापिस लौटाये गये तथा आरोपी की जामा तलाशी में मिले दोनों मोबाईल मय सिम सहित व मूल आर0सी कार नं. आरजे 14 एक्स सी 4966 को वास्ते अनुसंधान कब्जा एसीबी लिया गया व ड्राईविंग लाईसेंस की एक छायाप्रति एवं एक पासपोर्ट साईज की फोटो पत्रावली पर रखी गई, गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहे अनुसार उसकी पत्नि श्रीमति नवोदिता को उसके मोबाईल नं. 7023863736 पर जरिये मोबाईल नं. 8800511972 से दी गई। इस कार्यवाही की फर्द मुर्तिव कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये, इसके बाद ट्रेप कार्यवाही में जप्त/शील्ड शुदा माल बजह सबूत श्री अजय कुमार हैड कानि0 को सुपुर्द कर जमा मालखाना कराया गया, तथा समय 10.15 पीएम पर आरोपी श्री रामेश्वर सिंह अधीक्षण अभियन्ता क्वालिटी कन्ट्रोल द्वारा परिवादी श्री प्रवीण कुमार से रिश्वत राशि लेने हेतु उपयोग में

ली गई होण्डा सिटी कार नम्बर आरजे–14 एक्ससी 4966 बरंग सफेद जिसके डैस्क बोर्ड में से रिश्वत राशि बरामद हुई उक्त होण्डा सिटी कार को प्रकरण में वांछित होने के कारण पृथक से जरिये फर्द जब्ती जब्त किया गया। इसके बाद समय 10.40 पीएम पर बजह सबूत को शील्ड करने एवं फर्दात आदि पर नमूना सील अंकित करने के प्रयुक्त मे ली गई पीतल की नमूना ब्रास शील्ड नं0 60 को कानि0 लल्लूराम कानि0 487 के जरिये तुडवाकर नष्ट कराया जाकर फर्द नष्टीकरण मुर्तिव की गई तत्पश्चात गिरफ्तार आरोपी श्री रामेश्वर सिंह अधीक्षण अभियन्ता को जाप्ता की निगरानी में सामान्य चिकित्सालय अलवर भेजकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाकर रिपोर्ट प्राप्त की गई तथा गिरफ्तार आरोपी को कार्यालय में मुलाजमानों की निगरानी में रखा गया, तथा दिनांक 23.03.2023 को आरोपी श्री रामेश्वर सिंह अधीक्षण अभियन्ता पुनः पूछताछ की जाकर विस्तृत पूछताछ नोट तैयार कर पढाकर बाद हस्ताक्षर शामिल फाईल किया गया। इसके बाद समय 10.35 एएम पर श्री प्रेमचन्द पुलिस निरीक्षक एसीबी अलवर प्रथम मय कानि0 राजवीर के उपस्थित कार्यालय होकर कर्यालय के पत्र क्रमांक 330, 333/22.03.2023 के क्रम में श्री अमर चन्द मीना अधिशाषी अभियन्ता सा0नि0 विभाग खण्ड राजगढ जिला अलवर के पत्रांक 3669/22.03.2023 से मैसर्स कुन्दन सिंह द्वारा कठूमर खेडली उपखण्ड में करवाये गये रोड निर्माण कार्यो के बिल व भुगतान की सत्यापित प्रतियां, एवं श्री फूल सिंह अधिशाषी अभियन्ता सा0नि0विभाग खण्ड रामगढ जिला अलवर के पत्रांक 976/22.03.2023 से मैसर्स कुन्दन सिह के पैकेज सं0 आरजे02 –06/आरआईडीएफ–एक्सएक्सवीiii/21–22 के अन्तर्गत उप खण्ड कार्यालय रामगढ की तीन सडक शीतल से बूटोली, सम्पर्क सडक पीपलखेडा, सम्पर्क सडक फाहरी, तीनों सडकों के प्रथम रनिंग बिल, एवं द्वितीय रनिंग बिलों की प्रमाणित प्रतियां, एवं श्री मनोज श्रीवास्तव अधिशाषी अभियन्ता सा0नि0विभाग खण्ड कठूमर के पत्रांक 615/22.03.2023 से फर्म मैसर्स कुन्दन सिंह द्वारा माह सितम्बर 2022 के बाद किये गये रोड निर्माण कार्यो के पैकेज सं0 आरजे–02–06/आरआईडीएफ/27/2021–22 के प्रथम, द्वितीय, तृतीय रनिंग बिल एवं एवं पैकेज सं0 आरजे–02–एफ I–03/05/2021–22 ईन अलवर जिला फाईनल बिल, की प्रमाणित प्रतियां, लाकर प्रस्तुत की गई है, जिनके अवलोकन से श्री तेज सिंह रातावल सहायक अभियन्ता सा0नि0विभाग उपखण्ड गोबिन्दगढ अलवर के पत्रांक 205/30.12.2022 से फर्म मैसर्स कुन्दनसिंह का पैकेज सं0 आरजे–02–06/ आरआईडीएफ–27 / 2021–22 की विभिन्न सडकों को लगभग 73,23,805/–रूपये का बिल भुगतान के लिये अधिशाषी अभियन्ता सानिवि खण्ड रामगढ जिला अलवर को प्रस्तुत किया गया है जो भुगतान हेतु वक्त सत्यापन पैण्डिग था, उक्त समस्त दस्तोवजों को शामिल फाईल किया गया तथा श्री प्रेमचन्द पुलिस निरीक्षक को अपनी जाय तैनाती हेतु रूखसत किया गया। इसके बाद समय 11.00 एएम पर तलबिदा श्री सुधीर जैन सहायक परीक्षण अधिकारी गुण नियंत्रण खण्ड अलवर कार्यालय में हाजिर आया जिससे क्वालिटी कन्ट्रोल एसई के सा0नि0विभाग के रोड निर्माण कार्यो बाबत कार्य एवं दायित्वों के बारे में पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मौके पर विभाग के जो निर्माण कार्य होते है उनका मौका निरीक्षण कर मौके पर ही परीक्षण अथवा नमून एकत्रित कर प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु देते है, एवं परीक्षण रिपोर्ट जारी करते है, जो कि ठेकेदार के भुगतान के समय पर बिल में प्रस्तुत की जाती है, उसके बाद भुगतान की कार्यवाही विभाग द्वारा की जाती है। श्री सुधीर जैन द्वारा नमूने के तौर श्री रामेश्वर सिंह एसई पीडब्लूडी क्वालिटी कन्ट्रोल सर्किल 02 जयपुर (मुख्यालय अलवर) द्वारा जारी किये हुये परीक्षण रिपोर्ट दिनांक 01.02.2023, 02.02.2023, 09.02.2023, 27.02.2023, 28. 02.2023 की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियां पेश की जिनको शामिल फाईल किया गया। इसके बाद समय 11.35 एएम पर स्वतंत्र गवाहान के सामने कार्यालय में उपस्थित सुधीर जैन सहायक परीक्षण अधिकारी गुण नियंत्रण खण्ड अलवर से पूछा कि क्या आप श्री रामेश्वर सिंह एसई क्वालिटी कन्ट्रोल की आवाज को पहचानते हो तो बताया कि मै उनकी आवाज को पहचानता हूं क्योंकि ये हमारे करीब 05 माह से अधिकारी है इस लिये मै इनकी आवाज को पहचानता हूं। इस पर मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा ट्रेप कार्यवाही से सम्बन्धित रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 10.01.2023 व मोबाईल वार्ता दिनांक 25.02.2023 एवं रिश्वत लेन–देन वार्ता

दिनांक 22.03.2023 की आईओ सीडीयां को लेपटोप की मदद से चलाकर उनमें रिकार्ड वार्ताओं के स्पष्ट अंशों को टेबिल स्पीकरों के सहयोग से सुनाया गया तो श्री सुधीर जैन सहायक परीक्षण अधिकारी द्वारा उक्त वार्ता के स्पष्ट मुख्य अंशों के वाक्यों को सुनकर रामेश्वर सिंह एसई क्वालिटी कन्ट्रोल की आवाज होने पहचान की गई जिसकी पृथक से फर्द आवाज पहचान आरोपी तैयार कर बाद हस्ताक्षर शामिल फाईल किया गया तथा बाद कार्यवाही श्री सुधीर जैन सहायक परीक्षण अधिकारी को कार्यालय से रूखसत किया गया, तथा मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा मय दोनो स्वतंत्र गवाहान, परिवादी एवं गिरफ्तार शुदा आरोपी रामेश्वर सिंह एसई को मय जाप्ता के जरिये सरकारी वाहन मय चालक घटना स्थल भवानी तोप सर्किल सरस डेयरी बूथ अलवर पर जाकर गवाहान के सामने व परिवादी व आरोपी की निशादेही पर घटना स्थल का नजरी निरीक्षण कर नक्शा मौका व हालात मौका तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये ताबाद मय हमराहीयान वापिस एसीबी कार्यालय अलवर द्वितीय आया, एवं गिरफ्तार शुदा आरोपी रामेश्वर सिंह एसई को कार्यालय में मुलाजमानों की निगरानी बैठाया गया तथा परिवादी व गवाहान को बाद हिदायत कार्यालय से रूखसत किया गया। आरोपी को अकब से वास्ते जेसी माननीय न्यायालय में पेश किया जावेगा।

अब तक सम्पन्न की गई समस्त ट्रेप कार्यवाही से श्री रामेश्वर सिंह अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) सार्वजनिक निर्माण विभाग क्वालिटी कन्ट्रोल वृत–02 जयपुर मुख्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग अलवर द्वारा स्वयं का लोक सेवक होते हुये अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में अपने पद का दुरूपयोग कर भ्रष्ट एवं अवैध तरीका अपनाकर परिवादी श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री कुन्दन सिंह जाति जाट उम्र 37 साल निवासी बरखेडा फौजदार तहसील नगर जिला भरतपुर हाल एए क्लास पार्टनर फर्म मैसर्स कुन्दन सिंह कॉन्टेक्टर से उसके पिता श्री कुन्दन सिंह के नाम की फर्म द्वारा कठूमर खेड़ली उपखण्ड में कराये गये रोड निर्माण कार्यो के भुगतान हेतु सभी रोड की क्वालिटी (गुणवत्ता) संबंधी रिपोर्ट सही देने की एवज में दिनांक 10.01.2023 को दौराने रिश्वत मांग सत्यापन 15,00,000/–रूपये रिश्वत राशि की मांग कर 02.50 लाख रूपये पूर्व में प्राप्त करना स्वीकार करना तथा वक्त सत्यापन 01.50 लाख रूपये परिवादी से प्राप्त करना एवं 06 लाख रूपये दो किस्तो में देना तय कर अपनी उक्त मांग के अनुशरण में दिनांक 22.03.2023 को भवानी तोप सर्किल के पास स्थित सरस ड्ैयरी बूथ पार्लर अलवर पर होण्डा सिटी कार नम्बर आरजे–14 एक्ससी–4966 में परिवादी से 6,00,000/–रूपये रिश्वत प्राप्त प्राप्त करते हुये मय रिश्वत राशि रंगे हाथों गिरफतार किया जाना तथा परिवादी के कार्य से सम्बन्धित रिकार्ड बरामद होना पाया गया है।

अतः श्री रामेश्वर सिंह पुत्र श्री बदनलाल जाति जाटव उम्र करीब 52 साल निवासी मुड़िया तहसील नगर जिला भरतपुर हाल आवाद मकान नम्बर बी–33 रूप बिहार न्यू सांगानेर रोड जयपुर हाल अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) सार्वजनिक निर्माण विभाग क्वालिटी कन्ट्रोल वृत 02 जयपुर मुख्यालय सा0नि0वि0 अलवर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन मुख्यालय प्रेषित है।

(परमेश्वर लाल)
पुलिस उप अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
अलवर द्वितीय, अलवर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री परमेश्वर लाल, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर-द्वितीय, अलवर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री रामेश्वर सिंह, अधीक्षण अभियंता (सिविल), सार्वजनिक निर्माण विभाग, क्वालिटी कन्ट्रोल, वृत-02, जयपुर मुख्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग अलवर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 66/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

23.3.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 526-29 दिनांक 23.03.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर।
2. प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र0 नि0 ब्यूरो, अलवर द्वितीय, अलवर।

23.3.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।